जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

हिण्डौन सिटी

Rashtradoot

फोनः- 230200, 230400 फैक्सः- 07469-230600 वर्षः 17 संख्याः 101 प्रभात हिण्डौन सिटी, मंगलवार 10 फरवरी, 2026 पो. रजि.SWM-RJ-6069/2017-18 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

कांग्रेस ने जयपुर के राजघराने का नाम भी घसीटा दुराचारी एप्स्टीन प्रकरण में

एआईसीसी के मीडिया विभाग के अध्यक्ष पवन खेड़ा ने ट्वीट करके फैलाया कि महाराजा जयपुर, सवाई पद्मनाभ की बीसवीं सालगिरह पर एप्स्टीन के जानकार, मित्र व सहयोगी ने एक ''अलौकिक'' जश्न आयोजित किया

- पवन खेड़ा की ट्वीट के अनुसार, यह जश्न (पार्टी) एप्स्टीन के मित्र ने अपने रोम के पास स्थित किले में 2018 में आयोजित किया था तथा इसकी सूचना एप्स्टीन को लिख कर भेजी थी।
- पवन खेड़ा की ट्वीट के अनुसार, जश्न की जानकारी तो ''टिप ऑफ द आईसबर्ग'' है और एप्स्टीन के घराने से संबंध काफी गहरे और पुराने हैं।
- पवन खेड़ा ने अपने ट्वीट में यह भी लिखा है कि यह सब जानकारी अमेरिका के डिपार्टमैंट ऑफ जस्टिस की वैबसाइटः जस्टिस.जीओवी/एप्स्टीन/फाइल्स/पर उपलब्ध है।
- पवन खेड़ा ने दीया कुमारी, राजस्थान की वित्त मंत्री, जो दस फरवरी को राज्य का बजट पेश करेंगी, को यह चुनौती भी दी कि वे उनके परिवार पर कांग्रेस द्वारा लगाए गए आक्षेप को स्वीकार करें, प्रतिवाद करें या चुप्पी रखें, यह उनका अधिकार है। पर, जनता में भारी उत्सुकता है कि उनके पुत्र के जन्मदिन पर आयोजित ''जश्न'' का बजट कितना था और किसने उसका भुगतान किया।

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 9 फरवरी। कांग्रेस ने जयपुर राजघराने पर भारी कीचड़ उछाला। एआईसीसी के मीडिया प्रभारी पवन खेड़ा ने एप्स्टीन के एक दस्तावेज़ को एक्स पर शेयर किया।

''सोमवार, 14 मई 2018 को, एक प्रेषक (जिसका नाम गोपनीय कर दिया गया है) ने एप्स्टीन को लिखाः मैं इस गर्मी में रोम के पास हमारे पारिवारिक किले में जयपुर के महाराजा के जन्मदिन की पार्टी आयोजित कर रही हूँ। यह अलौकिक होने वाली है!!!''

खेड़ा ने बताया, यहाँ जयपुर के जिन महाराजा का उल्लेख है, वे पद्मनाभ सिंह हैं, राजस्थान की उपमुख्यमंत्री और भाजपा नेता दीया कुमारी के पुत्र। सूत्रों ने बताया, वर्ष 2018 में रोम में उनका 20वाँ जन्मदिन भव्य तरीके से आयोजित किया गया था, इसकी जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। पवन खेड़ा ने सवाल उठाया कि दीया कुमारी जब कल राज्य का बजट पेश

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

शरद पवार की तबियत बिगड़ी

मुंबई, 09 फरवरी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) प्रमुख और पूर्व केन्द्रीय मंत्री शरद पवार (85) की सोमवार दोपहर में सीने में अचानक जकडऩ होने की वजह से तबियत बिगड़ गई। पवार को पुणे के रुबी हॉल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। शरद पवार को गले से जुड़ी समस्या और खांसी की भी शिकायत है।

शरद पवार के भतीजे श्रीनिवास पवार ने बताया कि शरद पवार को कल रात से लगातार खांसी हो रही थी और उन्हें सीने में जकडऩ महसूस हो रही थी, जिसके बाद उन्हें पुणे स्थित रुबी हॉल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।

रूबी हॉल अस्पताल के मुख्य कार्डियोलॉजिस्ट और मैनेजिंग ट्रस्टी

- सीने में अचानक जकड़न की शिकायत पर पवार को पुणे के रूबी हॉल अस्पताल में भर्ती कराया गया।

डॉ. परवेज़ ग्रांट ने कहा कि डॉक्टरों की एक टीम शरद पवार की जांच कर रही है और उसी के अनुसार आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।

पूर्व उपमुख्यमंत्री अजित पवार की आकस्मिक मौत के बाद पवार परिवार को सांत्वना देने के लिए राज्य भर से नेता और पदाधिकारी बारामती आ रहे हैं। शरद पवार हर दिन सुनेत्रा पवार के परिवार से भी मिल रहे थे। इससे शरद पवार बेहद थक गए थे। इसी वजह से बीती रात उन्हें दिक्कत होने लगी, जिससे डॉक्टरों की टीम ने उनके

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी की खिंचाई की

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आपने पुरजोर ढंग से कहा था, जो 1.36 करोड़ नाम कटे हैं, उसके लिए अफसर जिम्मेदार हैं, पर, आपने अफसरों के नाम नहीं बताए

- सुप्रीम कोर्ट में प.बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की याचिका की सुनवाई हो रही है, जिसमें उन्होंने राज्य में एसआईआर को चुनौती दी है और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं।
- चुनाव आयोग ने अपने जवाब में कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार ने अफसरों के नाम नहीं बताए।

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 9 फरवरी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त 8,300 माइक्रो-ऑब्ज़र्वरों की तैनाती का मुद्दा उठाया। उन्होंने इन्हें केन्द्र सरकार के अधिकारी बताते हुए आरोप लगाया कि वे बिना किसी अधिकार के असंवैधानिक रूप से मतदाता सूची से नाम हटा रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट पश्चिम बंगाल में विशेष गहन स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न (एसआईआर) को चुनौती देने वाली मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की याचिका पर निर्वाचन आयोग के जवाब की सुनवाई कर रहा है।

इस मामले की सुनवाई भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली की पीठ कर रही है।

निर्वाचन आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शीर्ष अदालत में कहा कि 1.36 करोड़ से अधिक मतदाताओं के नाम एक कानूनी विसंगति की सूची में डाले गए हैं, इन नामों को हटाए जाने का खतरा है।

उनका दावा था कि यह खतरा सरनेम में स्पैलिंग की गलतियाँ या विवाह के बाद बेटियों के पते बदलने जैसी त्रुटियों के आधार पर पैदा हुआ है।

निर्वाचन आयोग ने दावा किया कि अधिकारियों से संबंधित विवरण और जानकारी साझा नहीं की गई।

ममता बनर्जी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने निर्वाचन आयोग के इस दावे का खंडन करते हुए कहा कि नाम तैयार हैं, संकलित कर लिए गए हैं तथा उन्हें आयोग को भेज दिया गया था।

इस पर मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने ममता बनर्जी से सवाल किया, ''जब हमने 4 फरवरी को निर्देश दिए थे, तो आप 7 फरवरी को रात 12 बजे ई-मेल के जरिए नाम क्यों भेज रही हैं?''

संसद को बम से उड़ाने की धमकी

नई दिल्ली, 09 फरवरी। राजधानी दिल्ली के 15 स्कूलों को सोमवार सुबह बम से उड़ाने की धमकी भरे ई-मेल मिले। मेल में दावा किया गया कि 13 फरवरी को दोपहर 1.11 बजे संसद में ब्लास्ट होगा और दिल्ली को खालिस्तान बना देंगे।

अधिकारियों ने बताया कि आठ धमकियां बाद में फर्जी पाई गईं। ईमेल में आतंकी अफजल गुरु और पंजाब को खालिस्तान बताने का भी जिक्र था। धमकी के बाद स्कूलों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

दिल्ली फायर सर्विस (डीएफएस) के मुताबिक, सुबह अलग-अलग इलाकों के स्कूलों से इमरजेंसी कॉल आईं। इसके बाद फायर टेंडर, बम

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

पाकिस्तान टी-20 वर्ल्ड कप में खेलने के लिए तैयार

पर, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसके लिए तीन शर्तें रखी हैं

- पहली शर्त है, बांग्लादेश को ज्यादा हर्जाना दिया जाए।
- दूसरी शर्त है, बांग्लादेश भले ही टी-20 वर्ल्ड कप नहीं खेल रहा है, पर, उसे पूरी फीस दी जाए।
- तीसरी शर्त है, पाकिस्तान को भी भविष्य में आईसीसी का इवैंट आयोजित करने का अवसर दिया जाए।

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 9 फरवरी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पी.सी.बी.) ने इंटरनैशनल क्रिकेट काउन्सिल (आई.सी.सी.) के साथ चल रहे गतिरोध को खत्म करने के लिए तीन मांगें रखी हैं। इससे पहले पी.सी.बी. ने अपने कट्टर प्रतिद्वंद्वी, भारत के खिलाफ होने वाले टी20 विश्व कप 2026 मैच का बहिष्कार करने का फैसला किया था, जबकि आईसीसी ने उसे संभावित परिणामों के बारे में चेतावनी भी दी थी।

सूत्रों के अनुसार, पी.सी.बी. ने रविवार को लाहौर में आई.सी.सी. अधिकारियों के साथ हुई बैठक के दौरान गतिरोध खत्म करने के लिए तीन मांगें रखीं: (1) बांग्लादेश के लिए मुआवजा बढ़ा या जाए, (2) टी20 विश्व कप से बाहर होने के बावजूद बांग्लादेश को भागीदारी शुल्क दिया जाए, और (3) भविष्य में किसी आई.सी.सी. टूर्नामेंट की मेजबानी का अधिकार दिया जाए।

सूत्रों ने यह भी बताया कि जहाँ कुछ पी.सी.बी. अधिकारी 15 फरवरी को कोलंबो में होने वाले भारत के खिलाफ मैच खेलने के पक्ष में हैं, लेकिन बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन नकवी इस मामले में सहयोग नहीं कर रहे हैं।

आई.सी.सी. ने पिछले महीने बांग्लादेश को टी20 विश्व कप से बाहर कर दिया था, क्योंकि उसने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए भारत जाने से इनकार कर दिया था। आई.सी.सी. ने भरोसा दिलाया था कि टीम के लिए कोई सत्यापित खतरा नहीं है, फिर भी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बी.सी.बी.) अपने फैसले पर कायम रहा, जिसके बाद आई.सी.सी. ने उसकी जगह स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया।

मान को विदेश यात्रा की अनुमति तीसरी बार भी नहीं मिली

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 9 फरवरी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की चेक

- पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान नीदरलैंड व चैक रिपब्लिक जाने वाले थे, पर, केन्द्र सरकार ने अनुमति नहीं दी। इससे पहले उन्हें यूके व इज़रायल जाने की अनुमति भी नहीं दी गई थी।

गणराज्य और नीदरलैंड की यात्रा रद्द हो गई है, क्योंकि केन्द्र सरकार ने उनकी

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

कांग्रेस ओम बिड़ला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी

कांग्रेस का दावा है, उसके पास पर्याप्त सांसद संख्या है, प्रस्ताव लाने के लिए तथा बीस दिन का नोटिस भी दे दिया गया है, जो सदन के मार्च ब्रेक के बाद प्रभावी हो जाएगा

- कांग्रेस अन्य विपक्षी दलों से बात भी कर रही है, अविश्वास प्रस्ताव में सहयोग देने के लिए। सपा, डीएमके, वामपंथी दल इस प्रस्ताव में सहयोग करने को तैयार हैं।
- कांग्रेस की लोकसभाध्यक्ष के खिलाफ मुख्य शिकायत है कि उन्होंने उनके नेता राहुल गांधी को बोलने का मौका नहीं दिया, जब उन्होंने गलवान घाटी पर चीनी घुसपैठ व झड़प पर पूर्व सेनाध्यक्ष नरवाणे की किताब के कुछ अंश पढ़ने चाहे। राहुल गांधी से कहा गया था कि उन्हें अपनी बात कहने का मौका बजट पर बहस आरंभ होने से पहले दिया जाएगा, पर, लोकसभाध्यक्ष ने यह मौका नहीं दिया और सदस्यों को बजट पर चर्चा आरंभ करने की अनुमति दी।
- दूसरी शिकायत है, लोकसभाध्यक्ष ने विपक्ष के आठ सांसदों को निलंबित किया, पर, भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की।
- लोकसभाध्यक्ष के खिलाफ विपक्ष की बड़ी शिकायत यह भी है, जिस प्रकार उन्होंने विपक्ष की महिला सांसदों पर यह आरोप लगाया कि वे प्र.मंत्री पर हमला करने की साजिश रच रही थीं।

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 9 फरवरी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। कांग्रेस, स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस का आरोप है कि उनके कई फैसलों में पक्षपात दिखाई दिया है, जिसमें सत्तारूढ़ भाजपा का पक्ष लेना, विपक्ष के साथ भेदभाव करना, विपक्ष के नेता राहुल गांधी को बोलने की अनुमति न देना, विपक्ष के आठ सांसदों को निलंबित करना, लेकिन भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ कोई कार्रवाई न करना शामिल है। यह भी आरोप है कि उन्होंने सत्तारूढ़ भाजपा के निर्देश पर फैसले लिए और उन्हें यह तय करने दिया कि क्या किया जाना चाहिए।

विपक्षी सांसदों का कहना है कि सबसे बुरा तरीका वह था, जिसमें उन्होंने विपक्षी महिला सांसदों के खिलाफ बयान दिया और उन पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर हमला करने की योजना बनाने का आरोप लगाया।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)